यह निरीक्षण प्रतिवेदन **मुख्य अभियन्ता, स्तर-2, सिंचाई विभाग, अल्मोड़ा** द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर तैयार किया है। कार्यालयाध्यक्ष द्वारा उपलब्ध करायी गयी किसी त्रुटिपूर्ण अथवा अधूरी सूचना के लिए कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

कार्यालय मुख्य अभियन्ता, स्तर-2, सिंचाई विभाग, अल्मोड़ा के माह 11/2016 से 10/2018 तक के लेखा अभिलेखों पर निरीक्षण प्रतिवेदन जो श्री आर०एन० यादव, श्री राजेश डोभाल सहायक लेखा परीक्षा अधिकारियों एवं श्री हरिओम, सहायक लेखा परीक्षा अधिकारी (तदर्थ) द्वारा दिनांक 19/11/2018 से 24/11/2018 तक श्री वी0पी0 सिंह, लेखापरीक्षा अधिकारी के पूर्णकालिक पर्यवेक्षण में सम्पादित किया गया।

भाग-I

1.परिचयात्मकः इस इकाई की यह प्रथम लेखापरीक्षा थी। वर्तमान लेखापरीक्षा में माह 09/2017 से 10/2018 तक के लेखा अभिलेखों की जांच की गयी।

(i) **इकाई के क्रियाकलाप एवं भौगोलिक अधिकार क्षेत्रः** जनपद अल्मोड़ा, बागेश्वर, पिथोरागढ़ एवं चम्पावत के अधीनस्थ कार्यालयों के द्वारा कराये जा रहे कार्यो का निरीक्षण एवं दिशा निर्देशन ।

(ii) (अ) विगत तीन वर्षों मे बजट आवंटन एवं व्यय की स्थिति निमन्वत हैं।

वर्ष	प्रारम्भिक अवशेष		स्थापना		गैर स्थापना		आधिक्य (+) `	बचत (+) `
	स्थापना `	गैर स्थापना `	आवंटन `	व्यय `	आवंटन `	व्यय `		
2016-17	-	-	12.30	12.30	-	-	-	-
2017-18	-	-	91.99	91.99	-	-	-	-
2018-19 (up to 10/2018)	-	-	78.93	42.85	-	-	-	36.07

(ब) केंद्र पुरोनिधानित योजनाओं के अंतर्गत प्राप्त निधि एवं व्यय विवरण निम्नवत हैं।

वर्ष	योजना का नाम	प्रारम्भिक अवशेष `	प्राप्त `	व्यय `	आधिक्य `	बचत `
2016-17	NIL	-	NIL	NIL		
2017-18	NIL	-	NIL	NIL		
2018-19 (up to 10/2018)	NIL	-	NIL	NIL		

(iii)इकाई को बजट आवंटन उत्तराखंड शासन द्वारा किया जाता है। गैर स्थापना व्यय को सम्मिलित न करते हुए इकाई **'सी'** श्रेणी की है। विभाग का संगठनात्मक ढांचा निम्नवत हैः

––प्रमुख सचिव/सचिव, सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड शासन,

––प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष, सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड

––मुख्य अभियन्ता, स्तर–2,सिंचाई विभाग,

–– अधीक्षण अभियन्ता , सिंचाई कार्य मण्डल,

–– अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई खण्ड,

(iv) **लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र एवं लेखापरीक्षा विधिः** लेखापरीक्षा में **कार्यालय मुख्य अभियन्ता, स्तर-2, सिंचाई विभाग, अल्मोड़ा** को आच्छादित किया गया। समस्त स्वाधीन आहरण एवं वितरण अधिकारियो के निरीक्षण प्रतिवेदन पृथक-पृथक जारी किये जा रहे है। यह निरीक्षण प्रतिवेदन **कार्यालय मुख्य अभियन्ता, स्तर-2, सिंचाई विभाग, अल्मोड़ा** की लेखापरीक्षा में पाये गये निष्कर्षों पर आधारित है। माह 01/2018 एवं 06/2018 को विस्तृत जांच हेतु चयनित किया गया। प्रतिचयन .... के आधार पर किया गया।

(v) लेखापरीक्षा भारत के संविधान के अनुच्छेद 149 के अधीन बनाये गये नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियां तथा सेवा की शर्ते) अधिनियम, 1971 (डी पी सी एक्ट, 1971) की धारा 13, लेखा तथा लेखापरीक्षा विनियम, 2007 तथा लेखापरीक्षण मानकों के अनुसार सम्पादित की गयी।

भाग-2 (ब)

प्रस्तर:1- निरीक्षण के संबंध मे।

कार्यालय मुख्य अभियंता, स्तर-2, सिंचाई विभाग, अल्मोड़ा के मासिक प्रगति आख्या माह 10/2018 एवं अन्य लेखाभिलेखों की जांच मे पाया गया हैं कि कार्यालय के अधीन जिला योजना, राज्य सैक्टर एवं नाबार्ड मे कुल 320 कार्य चल रहे हैं। अभिलेखों मे आगे पाया गया हैं कि मुख्य अभियंता द्वारा कार्यालय गठन (11/2016) से लेखा परीक्षा तिथि तक केवल 23 कार्यों का निरीक्षण किया जबकि अधीक्षण अभियंता, सिंचाई खंड, पिथौरागढ़ के अधीन दिनांक 06.07.2018 एवं 15.07.2018 को किए गए कार्यों की निरीक्षण की अनुपालन आख्या प्राप्त नही हुए हैं। इससे यह नही ज्ञात हो रहा हैं कि मुख्य अभियंता द्वारा किन खंडों के कार्यों का निरीक्षण किया गया। कार्यालय के अधीन सिंचाई खंड, कपकोट के कार्यों का निरीक्षण एक बार भी नही किया गया हैं।

उक्त के संबंध मे सम्प्रेक्षा द्वारा इंगित किए जाने पर कार्यालय द्वारा अवगत कराया गया कि 320 कार्यों मे से 279 कार्य जिला योजना के अंतर्गत होने के कारण मुख्य विकास अधिकारी स्तर से निरीक्षण किया जाता हैं। शेष 41 कार्यों का मुख्य अभियंता द्वारा समय समय पर निरीक्षण किया जाता हैं। तथा कार्य स्थल पर मौखिक निर्देश दिये जाते हैं। कार्यालय का उत्तर मान्य नही हैं क्योकि कार्यालय द्वारा इस संबंध मे कोई भी अभिलेख नही उपलब्ध कराये।

अत: मुख्य अभियंता द्वारा कम निरीक्षण किए जाने का प्रकरण संज्ञान मे लाया जाता हैं।

प्रस्तर –1 नहर/लघुडाल नहर सिंचाई योजनाओं को विगत 30 वर्षो से परित्याग योग्य घोषित होने के उपरान्त भी आतिथि तक योजनाओं का परित्याग नही किया जाना।

कार्यालय के अभिलेखो के अवलोकन में पाया गया कि मुख्य अभियन्ता (स्तर–2) सिंचाई विभाग, अल्मोड़ा के अन्तर्गत विभिन्न खण्डों की कुल 62 नहर/लघुडाल नहर सिंचाई योजना वर्ष 1987–88 से 20013–14 के मध्य विभिन्न कारण से विभाग द्वारा परित्याग योग्य घोषित किया गया परन्तु आतिथि तक (11/2018तक) योजनाओं का परित्याग नही किया गया था, जिनका खण्डवार विवरण निम्न प्रकार था :–

खण्ड का नाम	**परित्याग हेतु प्रस्तावित नहरों की संख्या**	**नहर की लम्बाई (किमी0)**	**सी0सी0ए0 (है0)**
सिंचाई खण्ड अल्मोड़ा	12	34.530	337
सिंचाई खण्ड रानीखेत	8	25.956	172
सिंचाई खण्ड बागेश्वर	5	12.350	120
सिंचाई खण्ड कपकोट	0	00.000	0
सिंचाई खण्ड पिथौरागढ़	4	8.028	74
सिंचाई खण्ड लोहाघाट	20	60.88	443
सिंचाई खण्ड धारचूला	13	33.425	405
योग मुख्य अभियन्ता (स्तर–2)	**62**	**175.17**	**1551**

उक्त के सन्दर्भ में इंगित किये जाने पर इकाई द्वारा तथ्यों की पुष्टि करतें हुये अवगत कराया गया कि परित्याग हेतु प्रकरण प्रमुख अभियन्ता कार्यालय को प्रेषित किये गये है। खण्ड के उत्तर से स्वयं लेखापरीक्षा आपत्ति की पुष्टि होती है कि सिंचाई योजनाओं को परित्याग योग्य घोषित होने के 30 वर्षो

उपरान्त भी लेखापरीक्षा तिथि (माह 11/2018) तक योजनाओं का परित्याग नही किया जा सका था और इस सन्दर्भ में इकाई द्वारा कोई ठोस प्रयास भी नही किये गये थे।

अतः नहर/लघुडाल नहर सिंचाई योजनाओं को विगत 30 वर्षो से परित्याग योग्य घोषित होने के उपरान्त भी आतिथि तक (माह 11/2018) योजनाओं का परित्याग नही किये जाने का प्रकरण उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

भाग– ।।।

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों का विवरण

क्रम सं0	निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	भाग– ।। 'अ' प्रस्तर संख्या	भाग– ।। 'ब' प्रस्तर संख्या	स्टैन
	शून्य (प्रथम लेखापरीक्षा)			

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों की अनुपालन आख्या :

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	प्रस्तर संख्या लेखापरीक्षा प्रेक्षण	अनुपालन आख्या	लेखापरीक्षा दल की टिप्पणी	अभ्युक्ति

–––इकाई की प्रथम लेखापरीक्षा थी–––

भाग– IV

इकाई के सर्वोत्तम कार्य

––– शून्य –––

भाग–V

आभार

1. कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून लेखापरीक्षा अवधि में अवस्थापना संबंधी सहयोग सहित मांगे गये अभिलेख एवं सूचनाएं उपलब्ध कराने हेतु मुख्य अभियन्ता, स्तर–2,सिंचाई विभाग, अल्मोड़ा तथा उनके अधिकारियों एवं कर्मचारियों का आभार व्यक्त करता है। तथापि लेखापरीक्षा में निम्नलिखित अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये :

(i) शून्य

2. सतत् अनियमितताएं :

(i) शून्य

3. लेखापरीक्षा अवधि में निम्नलिखित अधिकारियों द्वारा कार्यालयाध्यक्ष का कार्यभार वहन किया गया

क्रम सं0	**नाम**	**पदनाम**	
(1)	श्री एल0के0 शर्मा	मुख्य अभियन्ता	(12.09.2016 से 15.07.2017 तक)
(2)	श्री डी0के0 पचौरी	मुख्य अभियन्ता	(16.07.2017 से 31.12.2017 तक)
(3)	श्री ए0एस0 बृजवाल	मुख्य अभियन्ता	(01.01.2018 से 30.04.2018 तक)
(4)	श्री डी0एस0 कुटियाल	मुख्य अभियन्ता	(01.05.2018 से वर्तमान तक)

4. विगत सम्प्रेक्षा से अब तक निम्नलिखित खण्डीय लेखाधिकारी खण्ड से संबंद्ध रहे।

1. NIL

लघु एवं प्रक्रियात्मक अनियमितताएं जिनका समाधान लेखापरीक्षा स्थल पर नहीं हो सका उन्हें नमूना लेखापरीक्षा टिप्पणी में सम्मिलित कर एक प्रति मुख्य अभियन्ता,स्तर–2,सिंचाई विभाग, अल्मोड़ा को इस आशय से प्रेषित कर दी जायेगी कि अनुपालन आख्या पत्र प्राप्ति के एक माह के अन्दर सीधे उप महालेखाकार/आर्थिक क्षेत्र–।।, कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा)–उत्तराखण्ड, महालेखाकार भवन, कौलागढ़, देहरादून को प्रेषित कर दी जाये।

वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी

आर्थिक क्षेत्र - 2